

Regarding Need to protect the interests of people facing demolition of their houses in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu- laid

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : हमारा प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव छोटा प्रदेश है जो एक तरह से समुद्र की गोद में बसा हुआ है, जहां CRZ, आर्कियोलॉजी, फोरेस्ट, एयरपोर्ट का फ़नल जैसी विविध समस्याओं में मुश्किल से लोगों ने अपने घर मकान दूकान बनाए हैं, उन मकानों के नंबर भी सरकारी विभाग से मिले हुए हैं जिनका हाउस टैक्स भी जमा कराया जाता है, यही हाउस नंबर पर उन्हें लाइट तथा पानी सहित सारी सुविधायें सरकार इसी एड्रेस पर दे रही है। जानकारी के अभाव के चलते पुराने समय मकान बनाते वक्त मकान के प्लान सहित की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी साथ ही जब हमारे प्रदेश में उद्योगों स्थापित हुए थे तब उद्योग में काम करने वाले पर-प्रांतीय लोगों ने उस समय की मांग के अनुसार मकान बना दिए गए। पंचायतों ने भी मौखिक स्वीकृति दी थी तो उन मकानों, दुकानों को हाउस नंबर मिले हैं तथा उनका हाउस टैक्स भी भरा जाता है। अब हमारा प्रशासन सालों साल पहले बने मकान जिनमें कुछ तो पुर्तगाली समय से बने हुए हैं, को तोड़ने के लिए नोटिस दे रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस समय की मांग के अनुसार बनाए गए मकानों, दुकानों को लीगल किया जाए और हमारे प्रदेश के लोगो के भविष्य की रक्षा करने की कृपा करें।
